न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्यामलाल शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 16/2010

सायलान :- बनाम गैरसायलान :-

1. अर्जुनसिंह पुत्र मानसिंह राजपुत
2. दलपतसिंह पुत्र मानसिह राजपुत
3. महेन्द्रसिंह पुत्र मानसिह राजपुत
4. मनोहरसिंह पुत्र भारतसिंह राजपुत
5. राजपाल पुत्र गंगासिंह राजपुत
6. शिवरवसिंह पुत्र गंगासिंह राजपुत
7. जितेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपुत
8. भूपेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपुत
9. भंवरकवंर बेवा गंगासिह राजपुत
10. गणपतसिंह पुत्र मानसिंह राजपुत

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तारीख रजू:.03.03.2010

उपस्थित:- 1. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, सायल।

दिनॉक:- 15/06/2015

-:: निर्णय ::-

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बांजाकुडी, तह०-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 209 रकबा 5-00 बीघा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4-05 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 10-04 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 6-10 बीघा, खसरा नम्बर 219 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 343/19 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 206 रकबा 54-10 बीघा, खसरा नम्बर 207 बीघा रकबा 1-17 बीघा, खसरा नम्बर 213/1086 रकबा 1-12 बीघा, खसरा नम्बर 215 रकबा 0-14 बीघा, खसरा नम्बर 208 रकबा 4-13 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 7-07 बीघा वाके है। जिसके प्रार्थीगण समस्त रेकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जमाबंदी खतौनी सम्बवत् 2065 से 2068 व नक्शा ट्रैश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के चारो तरफ सीमांकन की पत्थरगढी, नेखामबंदी व हदबंदी की हुई नही है, न ही इस बाबत कोई बाउण्ड्री मार्क ही रोपे है। इसलिये प्रार्थीगण की उक्त आराजी को विधि अनुसार विशेषज्ञ माप कर्ता से प्रार्थीगण कानूनी फीस अदा कर नेखामंदी व पत्थगढी कराना चाहते है व जैतारण तहसील के लिये, जो कि पाली जिले का भाग है, जो सेटलमेंट ऑफिसर जोधपुर के का क्षैत्र में आता है तथा प्रार्थीगण को यह अवगत कराया गया कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर जैतारण द्वारा धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार आदेश देने पर प्रार्थीगण के खर्चे से उनकी कृषि भूमि की मूल नक्शे रेकर्ड अनुसार आधुनिक व वेज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा पेमाईश प्रार्थीगण के खर्चे से किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

का कानूनी प्रावधान है इसलिये प्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार प्रतिनिधि है, जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण है, जो इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। इसलिये उनको पक्षकार बनया गया है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाव प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 को आदेश दिया कि मौके पर सीमांकन कर नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण गै0सा0 ने किसी तरह का जबाव पेश नहीं किया। पत्रावली नेखमबन्दी करने एवं सीमांकन हेतु विचाराधीन हैं। चूँकि सायलान स्वयं राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार हैं तथा मौजा–बांजाकुड़ी में अपनी भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने की ईश्तदुआ की हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। गै0सा0 तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व मौजा–बांजाकुड़ी, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 209 रकबा 5–00 बीघा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4–05 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 10–04 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 6–10 बीघा, खसरा नम्बर 219 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 343/19 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 206 रकबा 54–10 बीघा, खसरा नम्बर 207 बीघा रकबा 1–17 बीघा, खसरा नम्बर 213/1086 रकबा 1–12 बीघा, खसरा नम्बर 215 रकबा 0–14 बीघा, खसरा नम्बर 208 रकबा 4–13 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 7–07 बीघा का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बांजाकुड़ी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner